



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042025-262396
CG-DL-E-11042025-262396

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1643]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 8, 2025/चैत्र 18, 1947

No. 1643]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 2025/CHAITRA 18, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2025

का.आ. 1674(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2669(अ), तारीख 17 अगस्त, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2669(अ), तारीख 17 अगस्त, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2669(अ), तारीख 17 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 5 और पैराग्राफ 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ रखे जाएंगे, अर्थात्: -

“5. मॉनीटरी समिति. – केंद्रीय सरकार एक मॉनीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

- | | |
|--|--------------------|
| (i) संभागीय आयुक्त, इंदौर | - अध्यक्ष, पदेन; |
| (ii) मुख्य वन संरक्षक, इंदौर | - सदस्य, पदेन; |
| (iii) जिला कलेक्टर, धार जिला | - सदस्य, पदेन; |
| (iv) कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, धार | - सदस्य, पदेन; |
| (v) कार्यपालक इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य विभाग, धार | - सदस्य, पदेन; |
| (vi) जिला पंचायत, धार के मुख्य कार्यपालक अधिकारी | - सदस्य, पदेन; |
| (vii) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि | - सदस्य, पदेन; |
| (viii) सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड | - सदस्य, पदेन; |
| (ix) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि | - सदस्य; |
| (x) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ | - सदस्य; |
| (xi) संभागीय वन अधिकारी, धार | - सदस्य सचिव, पदेन |

6. मॉनीटरी समिति के कार्य.- (1) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मॉनीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या यथास्थिति, राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उन क्रियाकलापों की, जो उपपैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मॉनीटरी समिति वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जायेगी और उसे सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मॉनीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।

- (4) मॉनीटरी समिति मामले- दर मामला के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों या पणधारियों के प्रतिनिधि को अपने विचार विमर्श में सहायत के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (5) मॉनीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध- III में विनिर्दिष्ट निदर्शन पत्र में प्रस्तुत करेगी।
- (6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मॉनीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।”

[फा. सं. 25/183/2015-ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक “जी”

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में विस्तृत का.आ. 2669(अ), तारीख 17 अगस्त, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2025

S.O. 1674(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Dinosaur National Park, Madhya Pradesh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2669(E), dated the 17th August, 2017;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2669(E), dated the 17th August, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2669(E), dated the 17th August, 2017; namely: -

In the said notification, for paragraph 5 and 6, the following paragraph shall be substituted namely:

“5. **Monitoring Committee.** - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely: -

- | | | |
|-------|--|---------------------------------|
| (i) | Divisional Commissioner, Indore | – Chairman, <i>ex officio</i> ; |
| (ii) | Chief Conservator of Forests, Indore | – Member, <i>ex officio</i> ; |
| (iii) | District Collector, Dhar District | – Member, <i>ex officio</i> ; |
| (iv) | Executive Engineer Public Work Department, Dhar | – Member, <i>ex officio</i> ; |
| (v) | Executive Engineer, Public Health Department, Dhar | – Member, <i>ex officio</i> ; |
| (vi) | Chief Executive Officer of District Panchayat, Dhar | – Member, <i>ex officio</i> ; |
| (vii) | Representative of the Madhya Pradesh Pollution Control | - Member, <i>ex officio</i> ; |

(viii)	Board Member, State Biodiversity Board	- Member, <i>ex officio</i> ;
(ix)	One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment nominated by the State Government of Madhya Pradesh for time to time every three years	-Member;
(x)	One expert in the area of ecology and environment nominated by the State Government of Madhya Pradesh for time to time every three years	– Member;
(xi)	Divisional Forest Officer, Dhar	- Member Secretary, <i>ex officio</i> .

6.Functions of Monitoring Committee.— (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or the stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
- (5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report annually of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30th June of that year in pro-forma specified in Annexure-III.
- (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”.

[F. No. 25/183/2015-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2669 (E), dated the 17th August, 2017.